

बिहार सरकार

राजस्व एव भूमि सुधार विभाग बिहार पटना

अधिघोषणा

पत्र/मं० - 2976/1570
130-19-12-12

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम- चमरपुर, थाना नं० 67 अंचल-शाहपुर, जिला भोजपुर में सार्वजनिक परियोजनार्थ धर्मावती नदी पर पुल निर्माण में पहुँच पथ के लिये सार्वजनिक व्यय से जमीन लेने की आवश्यकता है।

अतः यह अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजनार्थ ग्राम- चमरपुर, थाना नं० 67 अंचल-शाहपुर, जिला भोजपुर में भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश कृषि योग्य 1.19 एकड़ के बराबर होता है जिसका खेसरा निम्नवत है:-

अंश खेसरा सं० 68, 65, 64, 63, 57, 65/1308, 63/1306, 299, 302, 303, 304, 301,
301/1371, ³⁰²372, 64/1307

चौहदी:-


उत्तर - अंश खेसरा 68, 65, 64, 63, 57

दक्षिण - अंश खेसरा 65, 1302, 362, 302, 304

पूरब- अंश खेसरा 304

पश्चिम - अंश खेसरा 299, 301, 371, 306, 357

भूमि या भूमि के किसी भाग से नीचे पड़ने वाले कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य किसी खनीजो एवं खानों की आवश्यकता नहीं है किन्तु खानों एवं खनीजो के वे भाग जिन्हें जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना या उपयोग में लाना हो तो ले लिए जायेंगे। यह अधिघोषणा अधिनियम 1-1894 की धारा 6 और अधिनियम 1885 की धारा 3 के खण्ड (I) के उपबंधो के अधिनियम जैसा कि भू-अर्जन बिहार संशोधन अधिनियम (II) सन् 1960 के द्वारा संशोधित हुए है, उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो। भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर कार्यालय में देखा जा सकता है। बिहार राज्यपाल के आदेश से



समाहर्ता
भोजपुर आरा

ज्ञापांक 2276/150 दिनांक 21/9-12-12

प्रतिलिपि:— निदेशक सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार पटना को घोषणा प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ समाचार पत्रों आज एवं हिन्दुस्तान में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित सूचना का प्रेस कतरन कृपया समाहर्ता, भोजपुर एवं इस विभाग को उपलब्ध करा दिया जाए।

प्रतिलिपि:— प्रभारी उप समाहर्ता, जिला-गजट शाखा-समाहरणलय भोजपुर को दो प्रतियों में जिला गजट को अगला असाधारण अंक प्रकाशनार्थ एवं उसकी दस प्रतियों में इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय भोजपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— समाहर्ता, भोजपुर, आरा / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ प्रेषित।



अवर सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना

